

दुर्गा पूजा / मुहूर्तम - 2017

7 द० प्र० स०

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

मोहरवरद सरकार
बनाम

11-93/2017

आदेश पत्रक

11/

सुशील गोप

की

323
25/9/17

7/9/17

अभिलेख संख्या :- एम. 93 / 2017, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी रमिया के अप्राथमिकी संख्या :- 6/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभवना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 3/10/17 को उपस्थापित करें ।

25/9/17
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

नाथिकल अफ़ायर) यू.ए. डि. 24/1/18

2

नाथिकल अफ़ायर) यू.ए. डि. 3/2/18 एत
222

10/2/18

3/2/18 नाथिकल अफ़ायर) यू.ए. डि. 10/2/18 एत 222

10/2/18 दुर्गा पुजा / मुहूर्तम 2017 शान्ति पूर्ण हंग से
सम्पन्न हुआ। दिनांक - 10/2/18 के राष्ट्रीय लोक
अदालत ~~खंडी~~ ने इस वाह की कार्रवाई
को समाप्त की जाती है।

Adm.
10.2.18

10/02/2018
del.

10-2-18

